Overground worker who facilitated infiltration bids in J&K arrested

Jammu: J&K Police in an overnight operation arrested an overground worker who allegedly facilitated the infiltration of more than a dozen terrorists across the IB into Indian territory via Kathua district, officials said Tuesday. Intelligence inputs led cops to Mohammad Latif alias Haji Latif, a resident of Kathua's Safiyan area, report **Sanjay Khajuria**. Latif had been in touch with Pakistani handlers for years, a source said.

Fresh jolt to UBT as MLC Ahir joins Shinde camp

Files Nomination For Council Dy Chairperson Post

Chaitanya Marpakwar & Mahiyar Patel | TNN

Mumbai: In a fresh and major setback for Sena UBT, its MLC Sachin Ahir Tuesday filed his nomination for election to the post of deputy chairperson of the legislative council from deputy CM Eknath Shinde's Sena, effectively switching over to the Shinde-led party. A former MLA from Aaditya Thackeray's Worli assembly constituency, Ahir was considered close to Aaditya.

Ahir was earlier an NCP MLA from Worli and had joined the undivided Shiv Sena before the 2019 assembly polls. Sena UBT MLC JM Abhyankar filed his nomination as MVA nominee for the council deputy chairperson's post. The poll will be held Wednesday, but the Mahayuti is expected to win easily with its numbers.

With Ahir leaving, Sena UBT is left with just five MLCs in the council. Legislature officials said the nomination for the deputy chairperson's poll is not filed through any political party, so it would not attract the anti-defection law. Officials also said Ahir was elected as MLC of the undivided Shiv Sena in 2022, so he could not be disqualified now.

Shinde said last week six Sena UBT MPs had come to Sena "and hit sixes, and now Sachin Ahir has hit sixes".

PTI

Deputy CM Eknath Shinde (right) with Sachin Ahir after the latter filed his nomination

"Some people went to the constituencies of the six MPs. Sachin Ahir welcomed them by hitting sixes. Fours and sixes will continue and the wickets will keep falling," Shinde said.

Ahir filed his nomination in the presence of CM Fadnavis and deputy CMs Shinde and Sunetra Pawar among others.

Hitting back, Aaditya said this is not 'Operation Tiger' but 'Operation Devendra Fadnavis'. "Those, to whom we gave everything, they left for selfish reasons," he said. Ahir also resigned as president of Bharatiya Kamgar Sena, Sena (UBT) workers' union.

Sena UBT MLC Ambadas Danve claimed Ahir sent him a message Tuesday morning just before switching over. "I have taken this decision for my political survival. I have no background in politics and my work is my only proof," stated Ahir's text, Danve claimed.

Aaditya said, "We have been seeing this for four years... There is nothing new in this and it does not shock us at all. Worli-Sewri was and will remain Sena UBT's stronghold. Our work there speaks for itself. Therefore, no matter who joins or leaves the party, our stronghold will not be shaken."

"The only unfortunate thing is that those to whom we gave so much, what more do they want? He cannot even say Aaditya Thackeray did not meet him. He himself is an MLC, his daughter was given the post of ward committee member. He was also given the post of deputy leader in Sena UBT. So what more do you want? Should we now perform your 'aarti' every day? Sena UBT does not care if someone leaves," he added.

Shinde said, "This (Ahir's) nomination has been filed by Mahayuti which is in a majority. Therefore, he will be elected as deputy chairperson. He will work to provide justice not only in Mumbai but also in Maharashtra in this role. With his arrival, Sena's strength has also increased. Sena is a party of workers. There is no doubt that Ahir will do a great job."

Ahir said he would respond at the right time and from the right platform to the barbs hurled at him from Sena UBT.

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

CO SAM: ALIGARH
Address: CO SAM, Aligarh, Sai Vihar opposite Madan palace Village: Talaspur Kalan Ramghat Road, Aligarh 202001.
Email: cs8183@pnb.bank.in, Phone No. 9903146137

E-AUCTION SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC UNDER RULE 8 & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002, PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) and / or Rule 9 (1) (as applicable) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Lot. No.	Name of the Branch / Name of the Account	Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name [mortgagers of property(ies)]	A) Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002 / B) Outstanding Amount / C) Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI ACT 2002 / D) Nature of Possession Physical/Constructive	E) Reserve Price / F) EMD (last date of deposit of EMD) / G) Bid Increase Amount
Auction date & Time: 17.07.2026 & 11:00 AM to 04:00 PM (For Sr. No. 1 to 4)				
1.	PNB Mahendra Nagar, Aligarh Ankita Agrawal	Residential property in the name of Ankita Agrawal W/o Gaurav Goyal situated at Flat No. 03, 3rd Floor, Kishan Homes, Kuldeep Vihar, Kishanpur Pargana and Tehsil Koil, Aligarh admeasuring 100 Sq.Mtr.	A) 01/12/2022 B) Rs. 21,92,243.72 plus Interest w.e.f 01.06.2026 and other Charges, less recovery if any. C) 22/02/2023 D) Constructive	E) Rs. 19,35,000/- F) Rs. 1,93,500/- (17/07/2026) G) Rs. 10,000/-
2.	PNB Dhanipur, Aligarh M/s Goga Ji Enterprises Through Proprietor- Shardendu Kumar S/o Ami Chandra	All that part and parcel of the residential property in the name Shardendu Kumar S/o Shri Amichand, situated at Part of Khasra No. 30/1, Khata No. 00029 at mauza Bhadesi Maafi Paragna and Tehsil Koil, District Aligarh, having area 44.60 Sq Meter and having boundaries as under:- East- Plot Prempal Singh West- Plot Ashok Kumar, North- Plot Deegar, South- Road 18 feet wide	A) 03.04.2024 B) Rs. 10,85,822.35/- with further interest w.e.f. 01.06.2026 and other expenses, less recovery if any. C) 12.08.2024 D) Constructive	E) Rs.8,67,000/- F) Rs. 86,700/- (17.07.2026) G) Rs. 10,000/-
3.	PNB- SVDC Aligarh (404600) Mamta Goswami W/o Anshu Goswami	All the part and parcel of the Residential property in name of Mamta Goswami W/o Anshu Goswami Situated at Part of Khasra No. 150, Mauja Baraula Jafarabad, Sangam Vihar Colony, Pargana & Tehsil- Koil, District- Aligarh, admeasuring area- 50.17 Sq. Mtr.	A) 10.09.2025 B) Rs. 8,49,250.21/- with further interest w.e.f. 01.06.2026 and other expenses, less recovery if any. C) 21.11.2025 D) Constructive	E) Rs. 10,12,500/- F) Rs. 1,01,250/- (17.07.2026) G) Rs. 10,000/-
4.	PNB- Asadpur Kayam, Aligarh (777000) Prem Singh S/o Hari Singh & Shakuntala W/o Prem Singh	All the part and parcel of the residential property in the name of Shakuntala W/o Prem Singh situated at Pala Sahibabad on the part of Gata No. 112, Near Gauri Shankar Mandir, Pargana & Tehsil- Koil, District Aligarh, admeasuring area 83.23 Sq. Mtr.	A) 30.09.2025 B) Rs. 15,08,117.00/- with further interest w.e.f. 01.06.2026 and other expenses, less recovery if any. C) 07.01.2026 D) Constructive	E) Rs. 14,00,000/- F) Rs. 1,40,000/- (17.07.2026) G) Rs. 10,000/-

Note: Detail of the encumbrances known to the secured creditors: No known encumbrances.

TERMS AND CONDITIONS
The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:
1. The properties are being sold on **"AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS".**
2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorized Officer, but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website **https://baanknet.com on 17.07.2026 from: 11:00 AM to 04:00 PM.**
4. For detailed term and conditions of the sale, please refer **https://baanknet.com & www.pnbindia.in.**

DATE: 25.06.2026, PLACE: ALIGARH **Authorised Officer-Secured Creditor, PUNJAB NATIONAL BANK**

पंजाब नैशनल बैंक ..... भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ... the name you can BANK upon!

Circle Office: Muzaffarnagar #Plot No. 01, Shakuntlam Awas Vikas Colony Circular Road, Muzaffarnagar (U.P.)
E-Mail: COMZNSAM@PNB.BANK.IN

E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act 2002 read with proviso to Rule 9(1) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule,2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/ physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorised officer of the Bank / Secured Creditor, will be sold on" As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of dues due to the Bank/Secured creditor from the respective borrower(s), and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSESTS

S. No.	Name of Branch / Name of the Account / Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Properties Mortgaged /Owner's Name (Mortgagors of Property (ies))	Dt. of Demand Notice 13 (2) of SARFAESI ACT, 2002 / Outstanding Amount / Date Of Possession / Nature of Possession: Symbolic / Physical / Constructive	RESERVE PRICE / EMD / BID INCREASE AMOUNT	DATE & TIME OF AUCTION	Details of The Encumbrances Known To the Secured Creditors
1.	BO :Kairana 1. Mr. Abdul Ajij S/o Jahoor Hasan (Borrower)	Entire a house west and north faced in the name of Mr. Abdul Ajij S/o Jahoorhasanwhich having a shop west faced total area 65 sqmtr which Having in ground floor a shop and two room, bathak, jina, a kitchen and first floor consists of two room, a baramda situated at MohallaAalkalan ward no. 2, Kairana, Pargana and Tehsil Kairana, District Shamli. The property is bounded as below: East: House Saleem, West: Rasta 15' width, North: Rasta 12' width, South: House Naushad	06.03.2020 Rs. 36,11,979.86 + further interest w.e.f. 01.06.2026 + DI & other Charges 06.01.2024 Constructive	Rs. 25.00 Lakh Rs. 2.50 Lakh Rs. 25,000/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
2.	BO Civil lines (068910). 1. Naim S/o Ayyoob (Borrower) 2. Aasif S/o Naiam (Co-Borrower)	One Residential Plot East faced measuring 62.70 sq. mtrs Part of Khasra No. 850 situated at mauza sarwat bahar hadood Muzaffarnagar. Registered with sale deed no. 3256 duly registered at bahi no 1 zild no.7685 page no. 303 to 320 dated 05.03.2013 in the name of Naim S/O Ayyoob. The property is bounded as below: East: Rast 14ft wide, West: Plot of Imrana, North: Plot of Shana, South: Plot of Jameer Khan	21.07.2025 Rs. 8,29,529.09/- with further interest w.e.f. 30.05.2026 at the contractual rate and DI +charges 07.10.2025 Constructive	Rs. 14.50 Lakh Rs. 1.45 Lakh Rs. 14,500/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
3.	BO: Municipal Building Khatauli (627100) 1. Mr. Naresh Kumar S/o Mr. Shish Ram (Borrower/Mortgagor) 2. Smt. Suman Devi w/o Sh. Naresh Kumar (Co- Borrower) 3. Mr. Raj Kumar S/o Mr. Shish Ram (Guarantor) 4. Mr. Gyan Singh S/o Mr. Naresh Kumar (Guarantor)	Residential house in the name of Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Shish Ram measuring area 183.94 sq. mtrs situated at Mohalla Moolchand Vihar, Ward no. 10, Khasra no. 368, Town and Paragna Khatauli, Tehsil Khatauli, District Muzaffarnagar, registered as per sale deed no. 71 dated 04.01.2012. The property is bounded as below: East: Plot no. 29 of Mrs. Suman Sharma, West: Plot no. 27 of Mrs. Kailashwati, North: Plot no. 26 & 30 of Mrs. Kailashwati & Sarita Jain, South: Road 20ft Wide	01.03.2025 Rs. 12,79,247.96/- with further interest w.e.f 31.05.2026 + DI & other Charges 25.08.2025 Constructive	Rs. 30.00 Lakh Rs. 3.00 Lakh Rs. 30,000/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
4.	BO Civil lines (068910). 1. Mr. Rijavan S/o Noor Mohammad (Borrower)	One Residential Plot South faced in the name of Mr. Rijavan S/o Noor Mohammad, Measuring 83.73 sq meter part of Khasra 664 situated at village sarwat bahar hadood Near Bajheri Underpass, Rajwaha Road Muzaffarnagar , Dully registered with sale deed no 1592 dated 16.03.2017. The Property is bounded as below: East: Plot of seller, West: Plot of Mohammad Rijwan, North: Rasta 15 ft wide, South: Khet Rajpal	21.07.2025 Rs. 9,25,994.74/-with further interest w.e.f. 30.05.2026 at the contractual rate and DI +charges 07.10.2025 Constructive	Rs. 13.00 Lakh Rs. 1.30 Lakh Rs. 13,000/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
5.	BO: Gandhi Colony (395500) Mr. Gulzar Ahmad S/o Mr. Asgar Ahmad (Borrower) Mohd Shahvez S/o Mr. Gulzar Ahmad (Co- Borrower)	One residential property in the name of Mr. Gulzar Ahmad S/o Mr. Asgar Ahmad, measuring area 167.22 sq. mtrs situated at Khasra no. 464, Mohalla Shahbuddinpur (Andar Hadood), Pargana and Tehsil and District Muzaffarnagar, registered in the office of Sub Registrar II Muzaffarnagar in Bahi 1, Volume No. 7834 Page no. 345 to 362 at serial no. 12586 on 27.12.2018. The property is bounded as below: East: Plot of Shahnavaz, West: Plot of Ansari, North: Rasta 20ft. wide, South: House of Irshad	27.02.2026 Rs. 20,17,360.76/- with further interest w.e.f 31.05.2026 at the contractual rate and DI + charges 11.05.2026 Constructive	Rs. 76.00 Lakh Rs. 7.60 Lakh Rs. 76,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
6.	BO: Sikhera (024310) 1. Mr. Mohd. Farman S/o Mohd. Shahjad (Borrower/Mortgagor)	Residential property measuring 98 sq Mtrs, in the name of Mr. Mohd Farman S/o Mohd Shahjad, situated at Khasra no. 495/3 Sarwat Bahar Hadood, Tehsil and Distt. Muzaffarnagar, Registered with Gift Deed No. 3844 dated 07.03.2024. The Property is bound as below: East: Plot Malkaan, West: House of Gayasuddin, North: Rasta 18 feet Wide, South: House Deegar Vyakti	03.02.2026 Rs. 6,60,165.65 /- with further interest w.e.f 31.05.2026 at the contractual rate and DI + charges 22.04.2026 Constructive	Rs. 25.00 Lakh Rs. 2.50 Lakh Rs. 25,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
7.	BO: Sikhera (024310) 1. Mr. Mohd Nasim S/o Moharram Ali (Borrower) 2. Smt. Tasleema Parveen W/o Moharram Ali (Mortgagor)	EM of residential property part of Khasra no.671 Near islamia masjid Sarwat Bahar Hadood, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh having total area of 41.80 Sq Mtrs in the name of Smt. Tasleema Parveen w/o Mr. Moharram Ali Registered at Sr. no. 2674 dated 18.03.2010. Property is bounded by : East: Plot of seller, West: Plot of other (Islamiya Masjid), North: Plot of Nassma Begaum, South: Road of 15 Feet Wide	03.02.2026 Rs. 7,15,734.00/- with further interest w.e.f 30.05.2026 at the contractual rate and DI + charges 22.04.2026 Constructive	Rs. 11.00 Lakh Rs. 1.10 Lakh Rs. 11,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
8.	BO: New mandi (004810). SANJAY SINGHAL S/o VED PRAKASH SINGHAL MR. PRADEEP KUMAR S/O RAMESH CHAND	EM of a residential house in the name of Sanjay Singhal S/o Ved Prakash Singhal, having area of 33.527 Sq. Mts situated at Khasra No. 1297, Mohalla – Ganga Vihar Gali No. 07, Rakba – Village – Sarwat Bahar Hadood, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. Boundaries: EAST – Remaining Plot of Sellers, WEST – Rasta 15 Ft. wide, NORTH – Prop. of Others, SOUTH – Road 20 Ft. wide	21.11.2025 Rs. 9,16,415.47/- with further interest w.e.f 31.05.2026 at the contractual rate and DI + charges 05.02.2026 Constructive	Rs. 16.00 Lakh Rs. 1.60 Lakh Rs. 16,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known
9.	BO: Jalalabad (071000) Sh. Sompal Saini S/o Sh. Mukanda Singh (Borrower/Mortgagor) Sh. Jogendhar Singh S/o Sh. Mandani Singh (Guarantor)	Residential plot (now house) in the name of Sh. Sompal Saini S/o Sh. Mukanda Singh, measuring area 83.64 Sqr mtrs situated at Khasra no. 158 M, Mohalla Saraswati Vihar Colony, Nai Abadi, Residential Kasba, Thanabhawan, Paragna Thanabhawan, Tehsil and District Shamli registered as per sale deed no. 9583 on 31.08.2016. The property is bounded as below: East: Rasta gali 10 ft wide, West: Plot of Hathchhoya Vale, North: Plot of Brijesh Valmiki, South: Plot of unknown	02.08.2025 Rs. 6,75,507.31 /- with further interest w.e.f 31.05.2026 at the contractual rate and DI + charges 12.02.2026 Constructive	Rs. 10.50 Lakh Rs. 1.05 Lakh Rs. 10,500/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	Not Known

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on *"AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"*. 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://baanknet.com on above mentioned dates from 11:00 a.m. to 04:00 p.m. 4. For detailed term and conditions of the sale, please refer https://baanknet.com & www.pnbindia.in. or contact Nodal Officer Sh. Prem Kumar, Authorised officer of Circle Office, Muzaffarnagar, Mob. 9829890590. All concerned to note that this publication is also a statutory 15/30 days sale notice to the borrowers/mortgagors/guarantors.

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) & 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Date: 30.06.2026 **Place : Muzaffarnagar** **Authorised Officer (Punjab National Bank)**

SC seeks Raj govt reply on Asaram's medical bail plea

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Supreme Court Tuesday issued notice to Rajasthan govt on a bail plea of self-proclaimed godman **Asaram** on medical grounds even as it directed that the treatment provided to him would continue. Asaram had approached the apex court against a high court order upholding his conviction and life sentence for raping two minor girls.

As advocate Shraddha Deshmukh, appearing for victims' families, strongly opposed any interim relief to him, a bench of Justices M M Sundresh and Sheel Nagu assured her that the order would be passed only after hearing all the sides and asked the petitioner to make them party to the case.

Senior advocate Dama Seshadri Naidu, appearing for Asaram, contended that his client, who is around 90 years old, was suffering from multiple diseases and pleaded for relief. He said the petitioner was a victim of a "social media trial" which had led to his conviction while the other accused were acquitted.

The bench assured the advocate appearing for victims' families that the order would be passed only after hearing all the sides and asked the petitioner to make them party to the case

The bench, however, said it would consider a plea for bail only if it is necessary on medical grounds and allowed him to approach the court in case of any medical emergency.

In April 2018, a special Pocso court at Jodhpur had sentenced Asaram to imprisonment for the remainder of his natural life. The HC upheld his conviction for IPC offences (except gang rape and criminal conspiracy charges) but acquitted the co-accused.

Ayushman covers acid survivor, treat 4-year-old: HC to pvt hosp

TIMES NEWS NETWORK

Indore: The Madhya Pradesh HC has directed a private hospital here to immediately admit a four-year-old acid attack survivor for specialised treatment after finding out that the burn ward of a govt hospital where she was earlier asked to be shifted was poorly maintained with fungus on the walls and rodent infestation.

Justice Deepak Khot issued the directions on June 24 on a writ petition filed under Article 226.

According to the family, also the petitioner, the child was subjected to an acid attack on May 29, along with her brother and mother, all of whom suffered serious burn injuries. They were undergoing treatment at the community health centre, Rajpur in Barwani district, but were discharged on June 18, citing inadequate treatment facilities.

The court noted it had earlier directed the petitioner's admission to the Super Speciality Hospital, Indore, by June 23, and sought a state report on alternative treatment at Aurobindo Hospital. While the state's report favoured the govt facility, the petitioner's counsel objected, producing photographs showing unhygienic conditions in the burn ward, including fungal growth and rats, which the court examined and showed to state counsel.

The report confirmed that the girl and her six-year-old brother required specialised treatment and warned that inadequate care could result in sepsis or septic shock.

The court referred to the Supreme Court's directions which mandate that private hospitals don't refuse treatment to acid attack victims, provide first aid before referral, and ensure full treatment including medicines, food, bedding, and reconstructive surgery. The top court had ruled that compensation matters were to be handled by District Legal Service Authority functioning as a criminal injury compensation board.

Noting the petitioners held an Ayushman Card for cashless treatment up to Rs 5 lakh and that they had sought admission to Bombay Hospital, Apollo Hospital or CHL Hospital, Indore, the court held they were entitled to treatment at a private hospital of their choice.

11-year-old killed, 4 hurt as tree falls on school bus in Mumbai

Mumbai: An 11-year-old student was killed and four others were injured after a roadside peepal tree fell on a school bus carrying 12 children in the Chembur area of Mumbai Tuesday afternoon, officials said.

The incident occurred at 2:58pm on Road No. 11, they said. Fire brigades rushed to the spot and evacuated all 12 students, including the two who were trapped in the school bus.

Of them, five injured students were taken to the nearby hospital for treatment, a civic official said.

According to the hospital's medical officer, four of the injured students were in stable condition, while 11-year-old Vihan Srivastava, who had sustained serious injuries, was declared dead around 4.30pm.

The bus was ferrying students of Universal High School, officials said.

IANS

Fire personnel rescue students stuck in the school bus in Chembur on Tuesday

School Bus Owners' Association (SBOA), a body of school bus owners, claimed 11 students were injured.

"This incident cannot simply be brushed aside as an unfortunate act of nature. It raises serious questions about civic preparedness, preventive maintenance, and the accountability of the authorities responsible for public safety," said Anil Garg, president of SBOA. PTI

...हम जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी कि हम भारत में रहते हैं

बुढ़ाना महोत्सव में रात भर चला कवि सम्मेलन और मुशायरा, कार्यक्रम में देश भर से आए कवि और शायरों ने अपनी रचनाओं से खूब लूटी वाहवाही

संवाद सूत्र, जागरण● बुढ़ाना : बुढ़ाना महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे ने सोमवार रात को एक अद्भुत माहौल बना दिया। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने कभी व्यंग्य के माध्यम से राजनीति की सच्चाई को उजागर किया, तो कभी श्रृंगार रस में डूबी रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ओज रस के कवियों ने देशभक्ति का जज्बा जगाया। प्रेम, विरह, सामाजिक मुद्दों और जीवन दर्शन पर आधारित कविताओं और गजलों ने श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।

नगर पंचायत परिसर में द्वितीय बुढ़ाना महोत्सव के तहत आयोजित इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन चेयरपर्सन उमा त्यागी और जिला बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।

बुढ़ाना महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे में शायरी करते नवाज देवबन्दी ● जागरण

शायर अकबर माहिर ने अपनी रचना में कहा, "वक्त बुरा जो हम पे आया तो दिल ने महसूस किया, वो भी किनारा करने लगे, जो दोस्त बनाए थे हमने।" ओजस कवि सुधीर मोहन ने क्रांतिकारी कविता प्रस्तुत कर जोश भर दिया। अली रजा ने कहा, "यह भूमि है संस्कारों की, दुश्मन पर भी उपकारों की।" हिमांशी बाबरा ने अपने काव्य पाठ से तालियां बटोरी, जिसमें उन्होंने कहा, "मुझको बचपन में सिखाया है गुजारा करना, अब तो दुनिया भी साथ नहीं निभाने वाली।"

सूफियाना अंदाज के शायर इम्तियाज खान ने कहा, "चिराग बुझे जाते हैं, हम खुद हवा को बुलाते हैं।" उन्होंने वर्तमान माहौल पर भी अपनी रचना प्रस्तुत की। कवि वरुण आनंद ने कहा, "तेरे कहने से ये जादू नहीं होने वाला, अब सितारा कोई जुगनू नहीं होने वाला।" हास्य कवि शाकिर लट्टू ने सभी को हंसाया, उन्होंने कहा, "झाड़ू लगाता हूं और पोछा भी साथ में, उसने मुझे मेहतर बना दिया।"

महाराष्ट्र से आई कवयित्री प्रियंका सजल ने मराठी शैली में उर्दू शायरी की। उन्होंने कहा, "सिर्फ कहिए कि प्यार है तुमसे और कोई जबान मत कीजिए, ये इश्क में सब कबूल होता है।" शायर सलीम सिद्दीकी ने कहा, "सबसे पहले मैं परिंदों को करूंगा आजाद, जब रिहा मुझको हिरासत से किया जाएगा।"

साहेब जमाली ने सुनाया 'मैं खून के रिश्तों में सगे ढूंढ रहा हूं'। मुंबई से आए शायर महेशर आफरीदी ने युवाओं की जमकर तालियां बटोरी। उन्होंने सुनाया 'जमीन पर घर बनाया, हम जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं'। उन्होंने श्रोताओं की फरमाइश पर सुनाया 'जिंदगी क्या है एक दरिंदा है, जो मेरा खून पी के भी जिंदा है'। उन्होंने पड़ोसी देश की तारीफ करने वालों पर तंज कसते हुए सुनाया 'कभी आपको अपने भारत पर कोई शिकायत हो, तो जरा नजर उस पार भी डाल लेना'। कवि इजहार अहमद इजहार ने दल बदलने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए सुनाया कि नेता तुम्हीं हो कल के।

मशहूर कवि और गीतों के राजकुमार स्वयं श्रीवास्तव ने सुनाया 'पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है'। उन्होंने सुनाया कि 'ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं'।

बेहतरीन संचालन करते हुए अजहर इकबाल ने सुनाया 'जहां पे रोना था उस जगह मुस्करा रहा हूं, न कोई मिलने को आ रहा, न मैं जा रहा हूं'। नामचीन शायर नवाज देवबंदी ने सुनाया 'बेख्याली में भी ख्याल उसका। मेरा क्या है, ये है कमाल उसका। ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका'। इसके बाद 'भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद देर तक आए'। 'इक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, इक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते' जैसी रचनाएं सुनाकर देर तक तालियां बटोरीं।

कवि अशोक पंकज ने सुनाया 'जो दुश्मन हुए हैं, उन्हीं पर दिलो जान लुटाए हुए हैं। वो ही चूमते हैं बुलंदी भी, अक्सर जो कदमों में सर को झुकाए हुए हैं'। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कवि विजेंद्र सिंह परवाज ने कहा 'तुझे अपनी दिल की तराजू पर रखकर, मेरा बस चले तो फूलों से तोलूं, न जागा हुआ न सोया हुआ हूं, तेरे ख्यालों में खोया हुआ हूं'। चेयरमैन डीसीडीएफ सुबोध त्यागी, पूर्व बार संघ अध्यक्ष बुढ़ाना विनोद त्यागी, मुन्ना प्रधान, इमरान जिया आदि मौजूद रहे।

इस दौरान विजेंद्र सिंह परवाज और नवाज देवबंदी ने बताया कि बुढ़ाना निवासी दो शख्सियत बुढ़ाना का दूर तक नाम कर चुकी हैं। मरहूम शायर तमन्ना जमाली देश-विदेश के प्रख्यात शायर रहे हैं और भीमसेन त्यागी मुंशी प्रेमचंद के बाद प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं।

युवक की हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपित दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : न्यायालय ने रामराज के जीवनपुरी गांव में हुए हत्याकांड में सुनवाई कर दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को दोषमुक्त किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि रामराज थाना के गांव जीवनपुरी निवासी मोहित ने 16 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई अंकित खेत पर बने फार्म हाउस से खाना लाने की बात कहकर घर से गया था, लेकिन वह रात में नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव जयपाल के खेत के पास चकरोड पर पड़ा मिला था। उसको दो गोली मारी गई थीं। विवेचना के दौरान आरोपित रणवीर, रणधीर तथा कुलदीप निवासी जीवन पुरी के नाम प्रकाश में आए। दोनों भाइयों समेत तीनों को दोषमुक्त कर दिया गया।

शराब कांड के दोषी को 10 साल की सजा, दो लाख जुर्माना

एक आरोपित को संदेह के लाभ के चलते किया दोषमुक्त, वर्ष 2019 में अपमिश्रित शराब पीने से दो लोगों हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : न्यायालय ने भौराकलां के सिसौली के सात वर्ष पुराने अपमिश्रित शराब कांड में एक आरोपित को 10 वर्ष की सजा के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, एक आरोपित को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। आरोपित से शराब खरीदकर पीने वाले तीन व्यक्तियों की तबीयत बिगड़ गई थी। इनमें दो की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

डीजीसी राजीव कुमार शर्मा, एडीजीसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि तीन अगस्त 2019 को नितिन कुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सिसौली ने थाना भौराकलां पर दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि बृजेश पुत्र चौल सिंह, नीरज पुत्र रामचन्द्र, नरेन्द्र पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सिसौली ने सोनू पुत्र यशपाल निवासी गांव सिसौली से शराब खरीदी थी। इसे पीने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई थी। तीनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के बाद मेरठ मेडिकल कालेज के अस्पताल रेफर किया गया था। जहां चार अगस्त 2019 की शाम चार बजे ब्रजेश और पांच अगस्त 2019 को नीरज की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपित सोनू को छह अगस्त 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना के बाद आरोपित के विरुद्ध 31 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मुकदमे में सोनू के सहयोगी हरेंद्र का भी नाम सामने आया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 के जज विष्णुचंद्र वैश्य के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने शराब विक्रेता सोनू पुत्र यशपाल को 10 वर्ष की सजा के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, आरोपित हरेंद्र पुत्र जयपाल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट पैरोकार आरक्षी सुनील कुमार यादव ने भी पैरवी की।

क्राइम ब्रांच के नाम से डिजिटल अरेस्ट करता था 12वीं पास ठग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : साइबर थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर साइबर ठगी एवं डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का 20 हजार का इनामी सदस्य बदमाश गिरफ्तार किया है।

इस गिरोह के पांच सदस्य फरवरी में पकड़े गए थे। आरोपित के पांच बैंक खातों में 31 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की रकम आई थी, जिसमें से 31 लाख से अधिक रकम आरोपित रखी थी।

मंगलवार को पत्रकार वार्ता में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि फरवरी माह में साइबर थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश किया था। तब पुलिस ने नदीम, गुफरान निवासी गांव कुटेसरा, चरथावल, मयूर अफजल राणा निवासी सुजडू, खालापार, तालिब मुहल्ला रामपुरम, अरमान निवासी अंबा विहार,खालापार को पकड़ा था। फरार चल रहे आरोपित रिहान पुत्र मोहम्म मेहराज निवासी मक्कीनगर योगेन्द्रपुरी, खालापार पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मंगलवार को आरोपित रिहान को रेलवे स्टेशन तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

किसान की हत्या में दो लोगों को ठहराया दोषी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : तितावी के मांडी गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव की रंजिश में किसान की हत्या करने के आरोपितों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। किसान को पांच गोली मारी गई थीं, जिनमें तीन बुलेट किसान के शरीर से निकाली गई थीं। दोनों आरोपितों के विरुद्ध सजा के प्रश्न पर छह जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायालय ने दोनों दोषियों को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार में निरुद्ध कराया।

डीजीजी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि तितावी थाना के गांव मांडी निवासी प्रदीप ने 24 अगस्त 2010 को तितावी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने खेत पर ईख बांध रहा था। दूसरी तरफ उसके पिता राजबीर सिंह काम कर रहे थे। अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा। खेत में उसके पिता का गोली लगा शव मौके पड़ा मिला। पुलिस ने मामले में जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की जांच में गांव के ही सहदेव उर्फ पप्पू व प्रमोद के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपित प्रमोद पर पूर्व में मुकदमे थे, जो फरार चल रहा था। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में विचाराधीन चल रही है। मंगलवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपितों को किसान की हत्या में दोषी करार दिया है। दोनों को छह जुलाई को सजा के प्रश्न पर न्यायालय में सुनवाई होगी।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्।।

IN EVERLASTING MEMORY OF
SHRI TILAK DHAR
(FEBRUARY 4, 1956 TO JULY 1, 2019)
ALL MEMBERS OF:
DCM SHRIRAM
FINE CHEMICALS LTD.
Quality • Integrity • Pioneering Spirit

मेरठ चंदा क्लब ने जीता टूर्नामेंट

भोपा : जनता इंटर कालेज के खेल मैदान में आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में चंदा क्लब मेरठ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेरठ सिटी की टीम को 3-0 से पराजित कर ट्राफी कब्जाई।

समापन पर मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी रहे। इस दौरान उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्राफी व पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व प्रधान मदन वालिया, ऋषिराज वालिया, दिवाश, गुरुदास वालिया मौजूद थे।

रुड़की रोड स्थित आर्किड हाल में सम्मानित किए गए मेधावी ● सौ. समाज

स्वर्णकार समाज ने मेधावियों को किया सम्मानित

मुजफ्फरनगर, (वि.) रुड़की रोड स्थित आर्किड हाल में आल इंडिया स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती और व्यापारियों की सुरक्षा पर चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने कहा कि स्वर्णकार समाज देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया। वक्ताओं ने मुजफ्फरनगर में स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराज अजमीढ़ देव के नाम पर चौक विकसित करने की मांग की।

इसके साथ ही, सरकार से जरूरतमंद स्वर्णकार समाज के लोगों को हथियारों के लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर देने की अपील की गई। बैठक में मेधावियों को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता नरेश कुमार वर्मा ने की, जबकि संचालन उमेश चंद वर्मा ने किया।

दो वांछित गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

संवाद सूत्र, जागरण मंसूरपुर : पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थानाध्यक्ष विपिन त्यागी ने बताया कि इम्तियाज व नौशाद निवासी गांव संधावली को घघोला पुल के समीप से गिरफ्तार किया गया है। गोवध अधिनियम व आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ..... भरोसे का प्रतीक!
punjab national bank ... the name you can BANK upon!
सर्किल कार्यालय: मुजफ्फरनगर : प्लॉट नं. 01, शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी सर्कुलर रोड, मुजफ्फरनगर (यू.पी.)
E-Mail: COMZNSAM@PNB.BANK.IN

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सामान्य जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ता (ऋणियों) और गारंटीकर्ता (गारंटरों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/ प्रभारित है , जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ता (ऋणियों) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर का नाम	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों के बंधककर्ता)	सरफेसी अधिनियम 2002 की मांग सूचना 13(2) की तिथि / बकाया राशि / कब्जे की तिथि / कब्जे की प्रकृति: प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि और समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋण का विवरण
1.	बीओ:कैराना 1. श्री अब्दुल अजीज पुत्र जहूर हसन (उधारकर्ता)	श्री अब्दुल अजीज पुत्र जहूर हसन के नाम पर पश्चिम और उत्तर मुखी घर, जिसमें पश्चिम की ओर एक दुकान है और कुल क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान, दो कमरे, बैठक, सीढ़ी और रसोईघर है, और पहली मंजिल पर दो कमरे और एक बरामदा है। यह संपत्ति मोहल्ला आलकलान, वार्ड नंबर 2, कैराना परगना और तहसील कैराना, जिला शामली में स्थित है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: सलीम का घर, पश्चिम: 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: नौशाद का घर।	06.03.2020 रू. 36,11,979.86 01.06.2026 से आगे के ब्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 06.01.2024 रचनात्मक	रू. 25.00 लाख रू. 2.50 लाख रू. 25,000/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
2.	बीओ: सिविल लाइन्स (068910)। 1. नईम पुत्र अय्यूब (उधारकर्ता) 2. आसिफ पुत्र नईम (सह-उधारकर्ता)	एक आवासीय प्लॉट पूर्व मुखी, जिसका क्षेत्रफल 62.70 वर्ग मीटर है और जो मौजा सरवट मुजफ्फरनगर में खसरा नंबर 850 का हिस्सा है। यह नईम पुत्र अय्यूब के नाम पर सेल डीड नंबर 3256 के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण विवरण: बही नंबर 1, जिल्द नंबर 7685, पेज नंबर 303 से 320, दिनांक 05.03.2013, संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: इमराना का प्लॉट, उत्तर: शाना का प्लॉट, दक्षिण: जमीर खान का प्लॉट।	21.07.2025 रू. 8,29,529.09 और 30.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 07.10.2025 रचनात्मक	रू. 14.50 लाख रू. 1.45 लाख रू. 14,500/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
3.	बीओ: नगरपालिका भवन खतौली (627100) 1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री शिश राम (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2. श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व. नरेश कुमार (सह-उधारकर्ता) 3. श्री राज कुमार पुत्र श्री शीश राम (गारंटर) 4. श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री नरेश कुमार (गारंटर)	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री शिश राम के नाम पर आवासीय घर, जिसका क्षेत्रफल 183.94 वर्ग मीटर है। यह मोहल्ला मूलचंद विहार, वार्ड नंबर 10, खसरा नंबर 368, कस्बा और परगना खतौली, तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है और सेल डीड नंबर 71 दिनांक 04.01.2012 के तहत पंजीकृत है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: श्रीमती सुमन शर्मा का प्लॉट नंबर 29, पश्चिम: श्रीमती कैलाशवती का प्लॉट नंबर 27, उत्तर: श्रीमती कैलाशवती और सरिता जैन के प्लॉट नंबर 26 और 30, दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क।	01.03.2025 रू. 12,79,247.96 31.05.2026 से आगे के ब्याज के साथ + DI और अन्य शुल्क 25.08.2025 रचनात्मक	रू. 30.00 लाख रू. 3.00 लाख रू. 30,000/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
4.	बीओ: सिविल लाइन्स (068910)। 1. श्री रिजवान पुत्र नूर मोहम्मद (उधारकर्ता)	श्री रिजवान पुत्र नूर मोहम्मद के नाम दक्षिण मुखी एक रिहायशी प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 83.73 वर्ग मीटर है और जो खसरा नंबर 664 ग्राम सरवट बहार हदूद, बझेडी अंडरपास के पास, रजवाहा रोड, मुजफ्फरनगर का हिस्सा है। यह 16.03.2017 को सेल डीड नंबर 1592 के तहत विधिवत पंजीकृत है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम: मोहम्मद रिजवान का प्लॉट, उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: राजपाल का खेत।	21.07.2025 रू. 9,25,994.74 और 30.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 07.10.2025 रचनात्मक	रू. 13.00 लाख रू. 1.30 लाख रू. 13,000/-	17.07.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
5.	बीओ: गांधी कॉलोनी (395500) श्री गुलजार अहमद पुत्र श्री असगर अहमद (उधारकर्ता) मोहम्मद शाहवेज पुत्र श्री गुलजार अहमद (सह-उधारकर्ता)	श्री गुलजार अहमद पुत्र श्री असगर अहमद के नाम एक रिहायशी संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर है और जो खसरा नंबर 464, परगना और तहसील व मोहल्ला शहाबुद्दीनपुर अंदर हदूद, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है। यह संपत्ति सब-रजिस्ट्रार द्वितीय मुजफ्फरनगर के कार्यालय में बही 1, वॉल्यूम नंबर 7834, पेज नंबर 345 से 362 पर सीरियल नंबर 12586 दिनांक 27.12.2018 के तहत पंजीकृत है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: शाहनवाज का प्लॉट, पश्चिम: अंसारी का प्लॉट, उत्तर: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: इरशाद का घर।	27.02.2026 रू. 20,17,360.76 और 31.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 11.05.2026 रचनात्मक	रू. 76.00 लाख रू. 7.60 लाख रू. 76,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
6.	बीओ: सिखेड़ा (024310) 1. श्री मोहम्मद फरमान पुत्र मो. शहजाद (उधारकर्ता/बंधककर्ता)	श्री मो. फरमान पुत्र मो. शहजाद के नाम 98 वर्ग मीटर की रिहायशी संपत्ति, जो खसरा नंबर 495/3 सरवट बहार हदूद, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है। यह 07.03.2024 को गिफ्ट डीड नंबर 3844 के तहत पंजीकृत है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: प्लॉट मालिकान, पश्चिम: गयासुद्दीन का घर, उत्तर: 18 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: किसी अन्य व्यक्ति का घर	03.02.2026 रू. 6,60,165.65 और 31.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 22.04.2026 रचनात्मक	रू. 25.00 लाख रू. 2.50 लाख रू. 25,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
7.	बीओ: सिखेड़ा (024310) 1. श्री मोहम्मद नसीम पुत्र मोहर्रम अली (उधारकर्ता) 2. श्रीमती तस्लीमा परवीन पत्नी मोहर्रम अली (बंधककर्ता)	EM आवासीय सम्पत्ति खसरा नंबर 671 का हिस्सा, निकट इस्लामिया मस्जिद सरवट बहार हदूद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जिसका कुल क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर है। श्रीमती तस्लीमा परवीन पत्नी श्री मुहर्रम अली के नाम पर है, यह 18.03.2010 को सीरियल नंबर 2674 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ: पूर्व: विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम: किसी और का प्लॉट (इस्लामिया मस्जिद), उत्तर: नसीमा बेगम का प्लॉट, दक्षिण: 15 फीट चौड़ी सड़क।	03.02.2026 रू. 7,15,734.00 और 30.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 22.04.2026 रचनात्मक	रू. 11.00 लाख रू. 1.10 लाख रू. 11,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
8.	बीओ: नई मंडी (004810) संजय सिंघल पुत्र वेद प्रकाश सिंघल श्री प्रदीप कुमार पुत्र रमेश चंद	EM एक आवासीय घर जो संजय सिंघल पुत्र वेद प्रकाश सिंघल के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 33.527 वर्ग मीटर है और जो खसरा नंबर 1297, मोहल्ला- गंगा विहार गली नंबर 07, रकबा - गाँव - सरवट बहार हदूद, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व- विक्रेताओं का बचा हुआ प्लॉट, पश्चिम- 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- दूसरों की प्रॉपर्टी, दक्षिण- 20 फीट चौड़ी सड़क।	21.11.2025 रू. 9,16,415.47 और 31.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 05.02.2026 रचनात्मक	रू. 16.00 लाख रू. 1.60 लाख रू. 16,000/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही
9.	बीओ: जलालाबाद (071000) श्री सोमपाल सैनी पुत्र स्व. मुकंद सिंह (उधारकर्ता/बंधककर्ता) श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मंदानी सिंह (गारंटर)	श्री सोमपाल सैनी पुत्र श्री मुकंदा सिंह के नाम पर आवासीय प्लॉट (अब घर), जिसका क्षेत्रफल 83.64 वर्ग मीटर है और जो खसरा नंबर 158 M, मोहल्ला सरस्वती विहार कॉलोनी, नई आबादी, रिहायशी कस्बा, थानाभवन, परगना थानाभवन, तहसील और जिला शामली में स्थित है। यह 31.08.2016 को सेल डीड नंबर 9583 के तहत रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: 10 फीट चौड़ी गली/रास्ता, पश्चिम: हाथछोया वाले का प्लॉट, उत्तर: बृजेश वाल्मीकि का प्लॉट, दक्षिण: अज्ञात व्यक्ति का प्लॉट।	02.08.2025 रू. 6,75,507.31 और 31.05.2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और DI + अन्य शुल्क 12.02.2026 रचनात्मक	रू. 10.50 लाख रू. 1.05 लाख रू. 10,500/-	04.08.2026 from 11.00 AM to 04.00 PM	ज्ञात नही

यह बिक्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 में बताए गए नियमों और शर्तों और इन अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। 1. प्रॉपर्टीज 'जैसी है जहाँ है आधार पर' और 'जैसी है जो है आधार पर' और 'जो कुछ भी है आधार पर' बेची जा रही हैं। 2. ऊपर दी गई अनुसूची में बताई गई सिक्योर्ड एसेट्स की जानकारी ऑथराइज्ड ऑफिसर की जानकारी के अनुसार सबसे अच्छी है, लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 3. बिक्री मेरे द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त दिनांक को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। या नोडल ऑफिसर श्री प्रेम कुमार, सर्कल ऑफिस, मुजफ्फरनगर के ऑथराइज्ड ऑफिसर से संपर्क करें, मोबाइल: 9829890590, सभी संबंधित लोग ध्यान दें कि यह प्रकाशन कर्जदारों/गिरवी रखने वालों/गारंटी देने वालों के लिए एक वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना भी है।

सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 9(1) और 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक: 30.06.2026 स्थान: मुजफ्फरनगर प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब नैशनल बैंक)